मंथन क्रमांक–123 ''धर्म परिवर्तन कितनी स्वतंत्रता कितना अपराध''

धर्म शब्द प्राचीन समय में गुण प्रधान रहा है। धर्म स्वयं एकवचन है बहुवचन नहीं। जब भारत गुलाम हुआ तब भारत में पहचान प्रधान शब्द धर्म के साथ जुड गया। धर्म शब्द द्विअर्थी हो गया। यही कारण है कि भारतीय व्यवस्था में धर्म परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि पहचान प्रधान धर्म तो बदल सकता है किन्तु गुण प्रधान नहीं। मेरी चर्चा का उपरोक्त विषय सिर्फ पहचान प्रधान धर्म तक सीमित है गुण प्रधान से नहीं।

पहचान प्रधान धर्म संगठन के रूप में होते हैं। यदि किसी धर्म का स्वरूप संस्थागत हो तो कोई समस्या नहीं होती किन्तु जब धर्म संगठन का रूप ग्रहण कर लेता है तब उसमें संख्यात्मक विस्तार की छीना झपटी शुरू हो जाती है। यह छीना झपटी ही घातक हो जाती है। जब तक हिन्दू धर्म संगठनात्मक स्वरूप से दूर रहा तब तक कोई टकराव नहीं आया क्योंकि हिन्दू संस्कार गुलामी सह सकता है किन्तु गुलाम बना नहीं सकता, अत्याचार सह सकता है किन्तु कर नहीं सकता, अपनों पर अत्याचार कर सकता है किन्तु दूसरों पर नहीं कर सकता, किसी को धर्म से निकाल सकता है किन्तु दूसरे को अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकता। हिन्दुत्व को गर्व है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं से सुसज्जित वह दुनियां का अकेला धर्म है और आज तक सब प्रकार के आक्रमणों में नुकसान उठाने के बाद भी अपनी मान्यता पर कायम है।

हिन्दू धर्म जब तक इस प्राचीन संस्कार तक सीमित रहा तब तक इस्लाम और इसाइयों की पौबारह रही। वे लोभ लालच दबाब अथवा धार्मिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अपनी संख्या विस्तार करते रहे किन्तु जब आर्य समाज या संघ परिवार ने बाधा पैदा की तब मुसलमान हिंसा पर आ गये और अनेक आर्य विद्वानों की हत्या कर दी। स्वतंत्रता के बाद के सत्तर वर्षो तक जो सरकारें शासन में रही उन्होंनं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों इसाइयों को संख्या विस्तार में पूरा संरक्षण दिया। संख्या विस्तार के लिये लोभ लालच अथवा बल प्रयोग को अन्देखा किया गया। एक दो प्रदेशों ने धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू किया किन्तु बाद में धीरे धीरे उसे भी निष्क्रिय कर दिया गया क्योंकि अल्पसंख्यक वोट राजनीतिक सत्ता का एक मजबूत हथियार बन गया। धर्म निरपेक्षता का अर्थ बदलकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर दिया गया। हिन्दू कोड बिल बनाकर मुसलमानों को चार विवाह तक छूट दी गई तो हिन्दुओं को एक विवाह तक सीमित किया गया। अल्पसंख्यक वोट वृद्धि के उददेश्य से इतना निर्लज्ज प्रयास भारत की धरती पर हुआ किन्तु हिन्दू कुछ नहीं कर सकता था। हिन्दुओं की जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगी किन्तु वह मन मसोस कर रहा क्योंकि हिन्दू अपने पूर्व संस्कारों से बंधा था और उसका अस्तित्व ही धीरे–धीरे संकट में आ रहा था। संघ परिवार ने खतरे को समझा और समझाया भी किन्तु संघ परिवार की गांधी विरोधी मान्यता ने संघ को हिन्दुओं में विश्वसनीय नहीं होने दिया।

भले ही धर्म परिवर्तन के मामले में हिन्दू खतरा नहीं समझता किन्तु यह प्रश्न विचारणीय तो है। संख्या विस्तार की छीना झपटी कहीं हिन्दू समाज में एकाएक विस्फोटक न बन जावे उसके पूर्व ही इस पर गंभीर विचार मंथन आवश्यक ळें

इतिहास गवाह है कि दुनियां में कुल मिलाकर जितनी हत्याएं और अत्याचार हुये हैं उनमें सबसे ज्यादा अत्याचार धार्मिक टकराव के कारण हुये। धार्मिक मान्यता सिर्फ विचारों तक सीमित न होकर सांस्कृतिक, संगठनात्मक तथा राष्ट्रीय स्तर तक को प्रभावित करती है। इस संबंध में मेरी प्रतिष्ठित गांधीवादी सर्वनारायण दास जी से चर्चा हुई। उन्होंने धर्म परिवर्तन के संबंध में चर्चा करते समय यह बताया कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसके जीवन पर गीता के बाद Sermon on the mount का ही सर्वाधिक प्रभाव था, जिसके मित्रों और प्रशंसकों की संख्या उस देश में भी अनगिनत थी, जिसकी सल्तनत के खिलाफ भारत जूझ रहा था और उन मित्रों व प्रशंसकों में ईसाई धर्माचार्यो की संख्या कम नहीं थी, जिसकी पहली जीवनी लिखने का श्रेय दक्षिण अफ्रिका के रेवरेंड डोक को है, जिसके नेतृत्व में चले स्वराज्य–आन्दोलन में अमेरिका में धर्मप्रचार के लिये भारत आये रेवरेंड कैथान ने भाग लिया था, जिसके लिये इस अमेरिकी पादरी को ब्रिटीश हुकूमत ने प्रथम देश निकाला और फिर जेल की सजा दी थी, इंग्लैंड के वैभव भरे जीवन का त्याग कर मीरा बहन (मिस स्लेड) सरला बहन मार्जरी साइक्स जैसी कुमारिकाओं ने जिसकी छाया मे रहना स्वीकार कर लिया और जिसके बताये सेवा कार्यों में आजीवन तल्लीन रही। उस गांधी ने खीस्ती मिशनरियों के धर्मान्तरण–सम्बन्धी क्रियाकलाप को सर्वथा अधार्मिक ही करार दिया था। मिशनरियों द्वारा कुष्ठ सेवा, आरोग्य आदि क्षेत्रों में की जा रही सेवा के लिये गहरा प्रशंसा–भाव रहते हुये भी धर्मान्तरण की दृष्टि रखकर किये जाने की वजह से गांधी जी की नजर में उस सेवा की कीमत बहुत घट जाती थी । सेवा दूषित हो जाती थी। इस तरह गांधी भी धर्म परिवर्तन को अच्छा मार्ग नहीं मानते थे।

धर्म परिवर्तन करना कोई सामान्य मत परिवर्तन नहीं है क्योंकि इससे संस्कृति तथा जीवन पद्धति में भी बदलाव आता है। यदि पूरा परिवार ही धर्म बदल ले तब तो बडी समस्या नहीं किन्तु एक सदस्य बदल ले तो या तो टकराव होगा या विघटन और यदि वह प्रमुख है तो अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता पर आक्रमण। इसलिये धर्म परिवर्तन करने से बचना चाहिये। फिर भी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वैचारिक रूप से सोच समझकर प्रतिबद्ध होकर धर्म बदलना चाहे तो उसे किसी भी कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सहजीवन की अपनी–अपनी सीमाएं है। धर्म परिवर्तन को सामाजिक स्तर पर निरूत्साहित करना चाहिये किन्तु किसी कानून या बल प्रयोग द्वारा नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।

इस स्थिति में हमारे पास बीच का मार्ग यही है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है तो उस कार्य को असामाजिक कार्य मानकर ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाये। यदि कोई व्यक्ति या परिवार धर्म परिवर्तन के लिये लोभ लालच या भय का उपयोग करे तो ऐसे कार्य को अपराध मानकर दण्ड की व्यवस्था की जाये। धर्म परिवर्तन एक विशेष प्रभाव डालता है इसलिये ऐसे किसी भी धर्म परिवर्तन की सामाजिक अथवा प्रशासनिक जांच उपरांत ही उसे परिवर्तित माना जाये। फिर भी यदि कोई व्यक्ति घोषित रूप से धर्म न बदलकर किसी अन्य विधि से भी पूजा पाठ करे किन्तु न अपना नाम बदले न धर्म, तो वह कर सकता है। इसमें एक बात और जुडनी चाहिये कि इसाइयत और इस्लाम में बहुत फर्क है। इसाइयत व्यक्ति के मौलिक अधिकार मानती हैं किन्तु इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम व्यक्ति को धार्मिक संगठन का सदस्य मानता है अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता मान्य नहीं। यह खतरनाक बदलाव है। इसलिये कोई भी धर्म परिवर्तन करके यदि मुसलमान बनता है तो उसकी विशेष शर्त होनी चाहिये कि वह धार्मिक इस्लाम तक सीमित हो सकता है किन्तु संगठित इस्लाम का सदस्य नहीं हो सकता।

हिन्दुओं के भी कुछ संगठन घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाते है। यह भी अच्छा कार्य नहीं है जब तक अन्य लोग धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों को बंद नहीं करते तब तक हिन्दू संगठनों की भी सलाह नहीं दी जा सकती कि वे शुद्धि आंदोलन बंद कर दे। मैं मानता हूॅ कि भारतीय संस्कृति ऐसी किसी घर वापसी को ठीक नहीं मानती किन्तु यदि विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा करता है तो उसे एक पक्षीय रोका भी नहीं जा सकता। मैं यह भी समझता हूॅ कि यदि घर वापसी की मुहिम तेज हो जाये तो मुसलमान और ईसाई अपने आप धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिये मांग करने लगेंगे। फिर भी मैं घर वापसी की अपेक्षा अधिक अच्छा समझता हूॅ कि कानून के द्वारा इस गंदे खेल को रोका जाये। यदि कानून के द्वारा धर्म परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध लगता है तो घर वापसी पर भी उसी तरह का कानून लागू होना चाहिये। जिस तरह सत्तर वर्षो तक बुरी नीयत से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित किया गया। उसी तरह बुरी नीयत से बहुसंख्यकों को यदि प्रोत्साहित किया गया तो यह हिन्दू धर्म के लिये एक कलंक होगा। आज हिन्दू धर्म गर्व से अपने को विचारधारा और जीवन पद्धति तक सीमित मानता है। यदि हम भी अन्य सम्प्रदाय का अनुकरण करने लगेंगे तो हिन्दू भी धर्म की जगह सम्प्रदाय के रूप में माना जाने लगेगा और यह हिन्दू धर्म के लिये दीर्घकालिक क्षति होगी। सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे उसका सबसे अच्छा समाधान है धर्म स्वातंत्र विधेयक। मैं जानता हूॅ कि भारत में ऐसा कानून बनाना बहुत पेचीदा मामला है। इसलिये वर्तमान समय में वर्तमान धर्म स्वातंत्र विधेयक जो कुछ प्रदेशों में लागू है उसे पूरे भारत में लागू कर देना चाहिये। एक दूसरा तरीका यह भी है कि समान नागरिक संहिता लागू करके धर्म जाति के मामले सामाजिक मानकर कानून उससे दूर हो जाये। अब तक मुसलमानों के पक्ष में खडे होकर सरकार ने हिन्दुओं के विरूद्ध जो हिन्दू कोड बिल लागू किया उसे समाप्त कर दिया जाये।

प्रश्नोत्तर ''धर्म परिवर्तन कितनी स्वतंत्रता कितना अपराध''

प्रश्न–1 आपके विचार से वर्तमान समय में कौन से धर्म संस्थागत और कौन से संगठनात्मक।

उत्तर–इस्लाम और सिख पूरी तरह संगठनात्मक है। ईसाइयत का स्वरूप अर्ध संगठनात्मक है। जैन और हिन्दुत्व पूरी तरह संस्थागत स्वरूप के है। संघ परिवार का स्वरूप संगठनात्मक है।

प्रश्न–2 क्या हिन्दुओं में धर्म परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर–गुण प्रधान धर्म कभी नहीं बदलता क्योंकि उसकी कोई भौतिक पहचान नहीं होती। गुण प्रधान व्यक्ति यदि विपरीत जायेगा तो वह अपराधी कहा जायेगा।

प्रश्न–3 अत्याचार सहने या गुलाम होना आप हिन्दुत्व का गुण मानते है या कमजोरी?

उत्तर–अत्याचार सहना कमजोरी हो सकती है किन्तु अत्याचार करना सहने की अपेक्षा कई गुना अधिक घातक है। संगठन अत्याचार का मुकाबला करने के लिये बनता है और कमजोरो पर अत्याचार करता है इसलिये अत्याचार करना अधिक बुरा है। हिन्दू इससे बचा हुआ है तो यह उसके लिये गर्व की बात है भले ही इसके कारण उसे नुकसान उठाना पडता हैं। दुनियां में हिन्दू एक मात्र ऐसा धर्म है जो गुण प्रधान है।

प्रश्न–4 क्या ऐसा जान बूझकर किया गया।

उत्तर–मेरे विचार से तो जान बूझकर किया गया। इस्लाम एक संगठन है धर्म नहीं। मुसलमानों के इकठठे वोट हिन्दुओं के बिखरे वोट की तुलना में अधिक उपयोगी समझकर ऐसा किया गया। इस कार्य में अम्बेडकर और नेहरू की अधिक भूमिका रही है।

प्रश्न–5 स्वतंत्रता के समय सर्वणों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया?

उत्तर–स्वतंत्रता के पूर्व हजारों वर्षो से सर्वणों ने अर्वणों के साथ अमानवीय अत्याचार किये थे। अम्बेडकर सर्वणों को ब्लैकमेल कर रहे थे। सर्वण अपराध भाव से ग्रसित थे इसलिये उन्होंने चुप रहना ही अच्छा समझा।

प्रश्न–6 ऐसी स्थिति में हिन्दू क्या कर सकते है।

उत्तर– यदि हिन्दुओं ने बडी संख्या में संगठित होकर बदला लेना शुरू किया तो गृह युद्ध हो सकता है और यह युद्ध घातक होगा। अच्छा हो कि अल्पसंख्यक समान नागरिक संहिता स्वीकार कर ले और खतरा टल जाये।

प्रश्न–7 इन टकरावों में हिन्दुओं की क्या भूमिका रही है?

उत्तर–किसी भी गुण प्रधान धर्म की टकराव में कोई भूमिका नहीं रहती वह तो पीडित पक्ष होता है। यह सभी टकराव संगठनात्मक धर्म आपस में करते रहते है। गुण प्रधान धर्म तो इसमें नुकसान उठाता है।

प्रश्न–8 क्या आप धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध के पक्ष में है?

उत्तर–धर्म परिवर्तन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता किन्तु धर्म परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध होना चाहिये यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो राजनैतिक व्यवस्था को जांच करके संतुष्ट होना चाहिये कि वह परिवर्तन वास्तविक है या नहीं।

प्रश्न–9 क्या इस्लाम व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं मानता है?

उत्तर–इस्लाम में व्यक्ति को धार्मिक सम्पत्ति माना गया है स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं इसलिये व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो मुसलमान बिना संविधान या कानूनी कार्यवाही के उसे संगसार करना अपना धर्म मानते है।

प्रश्न–10 क्या आप संख्या विस्तार के प्रयत्नों को बुरा मानते है?

उत्तर–संख्या विस्तार करने के प्रयत्न हमेशा छीना झपटी में बदल जाते है। यह प्रयत्न टकराव और युद्ध तक के कारण होते है।

प्रश्न–11 क्या आप भविष्य में भी इसी मार्ग को ठीक समझते है अथवा आर्य समाज तथा संघ परिवार के मार्ग को जिसमें घर वापसी को उचित माना गया है?

उत्तर–मेरे विचार से घर वापसी के प्रयत्न उचित नहीं है बिल्कुल अंतिम स्थिति में ही वह मार्ग अपनाना चाहिये सबसे अच्छा मार्ग यह है कि दुनियां इस्लाम को सहमत या मजबूर कर दे कि वह संगठनात्मक स्वरूप छोडकर संस्थागत मार्ग पकड ले इसके लिये हिन्दुओं को भी दुनियां के साथ एक जुटता दिखानी चाहिये। वर्तमान समय में दुनियां एक जुट हो भी रही है ऐसे समय में यदि हिन्दुओं ने अपना रूख बदला तो उससे गलत संदेश जायेगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि भारत समान नागरिक संहिता की बात करे। सांप भी मर जायेगा लाठी भी नहीं टूटेगी।

प्रश्न–12 ऐसे समय में हमे क्या करना चाहिये था?

उत्तर–ऐसे समय में भी जो किया गया वह उचित था। ऐसी हत्याओं का बदला लेना उचित मार्ग नहीं था ये आवश्य है कि राज्य को अधिक सक्रियता दिखानी चाहिये थी।

प्रश्न–13 यह आरोप किस आधार पर लगा रहे है?

उत्तर–स्वतंत्रता के बाद लगातार अल्प संख्यकों को विशेष अधिकार दिये गये और हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया इसलिये यह आरोप स्पष्ट दिखता है।

प्रश्न–14 क्या आप हिन्दू कोड बिल को समाप्त करने के पक्ष में है?

उत्तर–हिन्दू कोड बिल शांति प्रिय हिन्दुओं के खिलाफ एक सुनियोजित षडयंत्र है। समान नागरिक संहिता तुरन्त लागू होनी चाहिये जिससे हिन्दू कोड बिल का कलंक सदा सदा के लिये समाप्त हो जाये।

प्रश्न–15 इस संबंध में संघ की क्या राय है?

उत्तर–संघ पर परिवार एक संगठन है संस्था नहीं। संघ परिवार मोदी सरकार के आने के बाद समान नगारिक संहिता को भूलकर हिन्दू राष्ट्र की मांग करने लगा है। सभी संगठनों का यही चरित्र है। अब संघ परिवार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ।

प्रश्न–16 इसका क्या समाधान है?

उत्तर–धर्म के नाम पर बने हुये संगठनों को राजनैतिक सामाजिक स्तर पर भंग कर देना चाहिये। ये संगठन हमेशा टकराव के कारण होते है और अशांति पैदा करते है।

प्रश्न–17 आप ईसाइयों के प्रयत्न को ठीक मानते है या गलत ?

उत्तर–सेवा कार्य के माध्यम से धर्म परिवर्तन असामाजिक कार्य होता है, समाज विरोधी नहीं। ईसाइयों ने सेवा के माध्यम से धर्म परिवर्तन किया जो हिन्दुओं की तुलना में अनुचित था और मुसलमानों की तुलना में ठीक।

प्रश्न–18 धर्म परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है?

उत्तर–भारत में धर्म स्वातंत्र विधेयक विस्तार दिया जाना चाहिये किन्तु यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाये तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी।

प्रश्न–19 क्या सामाजिक बहिष्कार अपराध नहीं है?

उत्तर–सामाजिक बहिष्कार समाज सुधार का अच्छा माध्यम है। पश्चिम की नकल करके हमारे राजनेताओं ने इस पर अनावश्यक रोक लगा रखी है। ऐसे प्रतिबंध समाप्त होने चाहिये। समाज सर्वोच्च है उसकी सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रश्न–20 क्या लोभ लालच और भय को एक ही माना जाये?

उत्तर– मेरे विचार में लोभ लालच कोई अपराध नहीं है दोनो अनैतिक है किन्तु भय अपराध है दोनो का अंतर समझना चाहिये।

प्रश्न–21 आपने पूर्व में लिखा है कि घर वापसी ठीक नहीं है अब समर्थन कर रहे है?

उत्तर–समर्थन और विरोध परिस्थितिजन्य है। यदि सरकार सक्रिय हो जाये तो घर वापसी का काम रोक देना चाहिये। यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाये या मांग मजबूत हो जाये तब भी घर वापसी ठीक नहीं है। अन्यथा अंधेर नगरी चौपट राजा में सब स्वतंत्र है।

प्रश्न–22 क्या आप ऐसी मांग करेगे?

उत्तर–अभी चुनाव का समय है। चुनाव के बाद सरकार की नीति क्या बनती है उस पर आगे की योजना बन सकती है।

प्रश्न–23 हिन्दु यदि अल्पसंख्यक हो गया तब उसका गर्व कैसे बचेगा?

उत्तर–मेरे विचार से दुनियां गंभीरता से देख रही है। हमें उतावलेपन में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिये। अच्छा हो कि हम विश्व व्यवस्था के साथ चलके मुसलमानों को सहमत या मजबूर कर सके कि वे हमें अपना मार्ग बदलने के लिये मजबूर न करे।

मंथन क्रमांक–124 ''मनरेगा कितना समाधान कितना धोखा''

कुछ हजार वर्षों का विश्व इतिहास बताता है कि दुनियां में बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिए नये–नये तरीकों का उपयोग किया। श्रम शोषण के लिए ही पश्चिम के देशों ने पूंजीवाद को महत्त्व दिया तो भारतीय उपमहाद्वीप ने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को

हटाकर जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया। श्रम शोषण के पश्चिमी तरीको का लाभ उठाकर साम्यवाद दुनियां में मजबूत हुआ तो भारत की जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मनुवाद नाम देकर अम्बेडकर ने इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश की। साम्यवाद बहुत तेजी से बढ़ा और असफल हो रहा है। अम्बेडकर वाद अब तक भारतीय समाज व्यवस्था को ब्लैकमेल कर रहा है। आज भी भारत की संपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी के विरुद्ध बुद्धिजीवी शहरी पूंजीपतियों का एकाधिकार है। सब प्रकार की नीतियां ये लोग बनाकर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों पर थोप देते है।

भारत में पहली बार इस एकाधिकार पर अंकुश लगाने का ईमानदार प्रयास 2005 में हुआ जिसे नरेगा का नाम दिया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के किसी भी परिवार के एक सदस्य को न्यूनतम वर्ष में 100 दिन रोजगार गारंटी दी गई थी। इसके अंतर्गत जाति, धर्म का भेद नहीं था, महिला पुरुष का भेद नहीं था, व्यक्ति के स्थान पर परिवार इकाई बनाया गया था। इसी तरह भारत में पहली बार शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम से अलग किया गया। नरेगा योजना को शारीरिक श्रम तक सीमित किया गया। सन् 2005 में श्रम मूल्य 60 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन निश्चित किया गया था। उद्देश्य था कि देश में रोजगार की असमानता कम हो और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र में पलायन करने की मजबूरी ना हो। प्रयास पूरी तरह ईमानदारी भरा था और ईमानदारी से लागू भी किया गया था। यहां तक प्रावधान था कि यदि सरकार किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं दे सकेगी तो उसे आंशिक रूप में बेरोजगारी भत्ता देने को बाध्य होगी। कानून लागू होने के बाद ऐसा शुरू हुआ भी। इस योजना का प्रस्ताव साम्यवादियों का था और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की जोड़ी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आगे बढ़ाया। मनरेगा योजना एकमात्र ऐसी ईमानदार कोशिश रही जो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के राजनैतिक ईमानदारी की प्रतीक रही। तब तक किसी अन्य ने इस दिशा में कोई योजना नहीं बनाई थी। साम्यवादी श्रम शोषण की गंभीर योजनाएं बनाने के लिए सारी दुनियां में कुख्यात हैं। साम्यवादी कभी नहीं चाहते कि श्रम का मूल्य बढे क्योंकि यदि श्रम का मूल्य बढ़ जायेगा तो साम्यवाद का किला अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि साम्यवादियों को यह उम्मीद नहीं थी कि मनमोहन, सोनिया की जोड़ी इतनी ईमानदारी से इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। यही सोचकर उन्होंने इस प्रस्ताव पर जोर दिया था जिसके स्वीकार होते ही उनके समक्ष संकट पैदा हुआ।

स्वाभाविक था कि साम्यवादी योजना से पीछे नहीं हट सकते थे और आगे भी बढ़ने देना उनके लिए बड़ा खतरा था इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना को असफल करने का प्रयत्न किया। ईमानदार प्रयत्न यह होता कि न्यूनतम श्रम मूल्य जो 2005 में 60 रूपये रखा गया था उसे मुद्रास्फीति के साथ तथा कोई न्यूनतम विकास दर के साथ अपने आप बढ़ जाने की व्यवस्था होती। लेकिन कई वर्षों तक न्यूनतम श्रम मूल्य 60 रूपये ही रखा गया और उसे बढ़ाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास हो गया। परिणाम हुआ कि सरकारों ने इसे मनमाने तरीके से घटाया बढ़ाया। सन् 2005 में जो न्यूनतम गारंटी मूल्य 60 रूपये था वह अविकसित क्षेत्रों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक था। इसका अर्थ हुआ कि उस अधिक मजदूरी के कारण पिछड़े क्षेत्रों का पलायन रुका और विकसित क्षेत्रों में मजदूरों का अभाव हुआ। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डालकर विकसित क्षेत्रों की मजदूरी बहुत अधिक बढ़ा दी और अविकसित क्षेत्रों की मजदूरी मुद्रा स्फीति की तुलना में भी कम बढ़ाई गई। वर्तमान समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अविकसित क्षेत्रों की मनरेगा की मजदूरी दर 170 रूपये के आसपास है। यह दर 2005 की मुद्रास्फीति के आधार पर भी कम है तथा विकास मूल्य को जोड दे तो बहुत कम है दूसरी ओर हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक जैसे विकसित क्षेत्रों की मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 270 रूपये के आसपास है। स्पष्ट है कि योजना के वास्तविक लाभ को असफल करने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक योजनानुसार इस योजना को अविकसित क्षेत्रों में लागू होना था किंतु धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने का षडयंत्र किया गया। इस योजना को धीरे–धीरे इतना बोझिल बना दिया गया कि सरकारें इसे आगे बढ़ाने में कमजोरी अनुभव करने लगी। मनरेगा का बजट असंतुलित हुआ तो वामपंथी और शिक्षा शास्त्री सरकार पर दबाव डालकर शिक्षा का बजट बढाते रहे। शिक्षा कभी रोजगार पैदा नहीं करती बल्कि रोजगार में छीना झपटी करती है। स्वाभाविक था कि श्रम की तुलना में शिक्षा का बजट बढना श्रमिक रोजगार पर बुरा प्रभाव डालता है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस षडयंत्र की समीक्षा की। होना तो यह चाहिए था कि मोदी जी इस षड्यंत्र से बचाकर इस योजना को आदर्श स्थिति से आगे बढ़ाते किंतु मोदी जी ने इस पूरी योजना को ही अवांछित श्रेणी में डाल दिया। अब ना योजना जिंदा है, ना मरी हुई है, ना योजना से लाभ है, ना कोई नुकसान है। एक ईमानदार प्रयास जो कई हजार वर्षों के बाद शुरू हुआ था वह बुद्धिजीवी, पूंजीपति षड्यंत्र का शिकार हो गया।

इस योजना के खिलाफ किस तरह के गुप्त षडयंत्र हुए इसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। देश के प्रख्यात बुद्धिजीवियों जिनमें 1. न्यायाधीश एस0एन0 वेंकटचलैया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)। 2. न्यायाधीश जे0एस0 वर्मा (भारत के पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय)। 3. न्यायाधीश वी0आर0 कृष्णा अयर (भारत के पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय)। 4. जस्टिस पी0बी0 सावन्त (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश)। 5. जस्टिस के रामास्वामी (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश)। 6. जस्टिस सन्तोष हेगड़े (लोकायुक्त कर्नाटक व पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय)। 7. जस्टिस ए पी शाह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय)। 8. जस्टिस वी0एस0 दवे (पूर्व जज, राज, उच्च न्यायालय)। 9. डॉ0 उपेन्द्र बक्शी (प्रोफेसर ऑफ लॉ, दिल्ली विद्यालय)। 10. डॉ0 मोहन गोयल (पूर्व कानून के प्रो0 लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया, बेंगलोर)। 11. फली एस नरीमन (वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय)। 12. कामिनी जायसवाल (वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय)। 13. डॉ0 राजीव धवन (वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय)।14. प्रशान्त भूषण (वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय)। 15. वृन्दा ग्रोवर (अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय) शामिल थे। उन्होंने सरकार को इस

योजना के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावहीन करने के लिए लिखित रूप में प्रभाव डाला। स्पष्ट होता है कि यह लोग मनरेगा योजना को असफल करना चाहते थे और उनमें सफल भी हुए। इसी तरह देश के संपन्न क्षेत्रों के सांसदों की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने गुप्त रूप से यह रिपोर्ट दी कि यदि यह योजना इसी तरह लागू रही तो अविकसित क्षेत्रों के मजदूरों का विकसित क्षेत्रों में पलायन रूक जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। भारत सरकार ने दोनों प्रस्ताव के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से योजना को असफल कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि यदि बुद्धिजीवी संपन्न वर्ग नाराज हो जाएगा तो सरकार के राजनैतिक हितो पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मेरा यह स्पष्ट मानना है कि मनरेगा योजना गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों को आत्मनिर्भर तथा स्वाभाविक रूप से जीवित रहने के प्राकृतिक अधिकार का संवैधानिक प्रयास थी। यह योजना हजारों वर्षों के बाद बनी थी किंतु फिर से अमीर बुद्धिजीवियों और शहरी लोगों ने पूरी योजना को असफल कर दिया। श्रम की मांग बढे और श्रम की मांग बढ़ने के परिणामस्वरूप श्रम का मूल्य बढ़े यह आदर्श अर्थव्यवस्था होती है। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो सरकार गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों को रोजगार उपलब्ध होने की गारंटी दे। न्यूनतम श्रम मूल्य का अर्थ होता है उक्त घोषित श्रम मूल्य पर रोजगार गांरटी। यदि श्रम मूल्य बढा दिया जाये और रोजगार गारंटी न हो तो श्रम मूल्य पर विपरीत प्रभाव पडता है। जो धन सरकारे इन गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों को सुविधा सहायता के नाम पर देती हैं अथवा श्रम मूल्य बढाने पर खर्च करती है। वही धन यदि उन्हें स्वरोजगार के आधार पर मिले तो इसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों का आत्मसम्मान भी बचा रहेगा लेकिन पूंजीवादी, बुद्धिजीवी एकाधिकार इसमें सहमत नहीं है। वह हमेशा चाहता है कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक शोषण करके उसका थोड़ा सा भाग इस प्रकार सुविधा के नाम पर उन्हें दे दिया जाए कि वह बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों और शहरी लोगों के मुखापेक्षी बने रहे। वे हमेशा कृतग्य रहे। मनरेगा योजना इस परिणाम में बाधक थी और सबने मिलकर इस अच्छी योजना की भ्रुण हत्या कर दी। मुझे नहीं लगता कि अब भविष्य में इस तरह की कोई नई योजना आ सकेगी अथवा इस योजना में किसी तरह का बदलाव आ सकेगा। योजना निरूउद्देश्य निष्फल हो गई है।

प्रश्नोत्तर ''मनरेगा कितना समाधान कितना धोखा''

प्रश्न–1. क्या पूंजीवाद श्रम शोषण का सिद्धान्त है?

उत्तर–पूंजीवाद पूरी तरह श्रम शोषण का आधार है। पूंजीवाद बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों को अपनी शर्तो पर श्रम का उपयोग करने का अवसर देता है। पूंजीवाद श्रम की जगह कृत्रिम उर्जा को सामने लाकर श्रम को ब्लैकमेल करता है। पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों का अनिंयत्रित उपयोग और उपभोग करता है। यह उपयोग ही पूंजीवाद को मजबूत करता है। पूंजीवाद हमेशा सत्ता से तालमेल करता है और अप्रत्यक्ष रूप से श्रम को गुलाम बनाता है।

प्रश्न–2. क्या साम्यवाद पूरी तरह असफल हो गया है?

उत्तर–साम्यवाद असंतोष, वर्ग विद्वेष, ईर्ष्या, द्वेष के आधार पर जीवित रहा। ऐसे आधार लम्बे समय तक नहीं चला करते इसलिये साम्यवाद बहुत कम समय में समाप्ति के कगार पर है। अब तो साम्यवाद आईसीयू में है कब समाप्त हो जाये इसकी प्रतीक्षा कीजिये।

प्रश्न–3. क्या अम्बेडकर वाद भी समाप्ति की ओर है?

उत्तर–अब तक जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कमजोर नहीं हुई है। इसलिये अम्बेडकर वाद जिंदा है। फिर भी जिस तरह पांच प्रतिशत अम्बेडकर वादी पंचानवे प्रतिशत अवर्णो को ब्लैकमेल कर रहे है उसकी पोल जल्दी ही खुल जायेगी। अम्बेडकर वाद का भी जल्दी ही समापन दिखता है

प्रश्न–4. यह बात गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी अनुभव नही कर रहा है। क्यों?

उत्तर–साम्यवादी समाजवादी गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों के नकली प्रतिनिधि बनकर उन्हें निरंतर धोखा दे रहे है। ये लोग बुद्धिजीवी, पूंजीपति, शहरी लोगो का प्रत्यक्ष विरोध करके उन्हें अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते रहते है। यह बात गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी अब तक नहीं समझ पाया। अब साम्यवाद कमजोर पड गया है और समाजवाद भी प्रभाव खो रहा है। संभव है निकट भविष्य में यह पोल खुल जाये।

प्रश्न–5. मैंने सुना है कि नरेगा का प्रस्ताव साम्यवादियों का था मनमोहन, सोनिया जोडी का नहीं।

उत्तर–यह बात सच है कि साम्यवादियों का ही यह प्रस्ताव था और उनका ही दबाव भी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरकार यह बात मान लेगी इसलिये वे दबाव दे रहे थे। जब सरकार सहमत हो गयी तब उन लोगो ने इस योजना को असफल करने का प्रयास किया। यह सोच मनमोहन सोनिया की नहीं थी किन्तु उनकी नीयत साफ थी इसलिये उन्होंने ईमानदारी से लागू किया।

प्रश्न–5. मैंने सुना है कि महिलाओं को विशेष प्राथमिकता थी।

उत्तर–ऐसा नहीं है महिला और पुरूष सबका वेतन बराबर था। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में सौ दिन रोजगार की गारंटी थी।

प्रश्न–6. विकसित क्षेत्रों ने इसमें क्या षडयंत्र किया?

उत्तर–नरेगा में देश भर का न्यूनतम श्रम मूल्य बराबर था। परिणाम हुआ कि अविकसित क्षेत्रों के मजदूरों का बाहर जाना बंद हो गया। विकसित क्षेत्रों के लोग परेशान हुये उन लोगो ने सरकार पर दबाव डालकर एक संसदीय समिति बनवाई और उस समिति की सिफारिश पर विकसित क्षेत्रों का नरेगा का मूल्य बहुत अधिक बढवा दिया। परिणाम हुआ कि अविकसित क्षेत्रों को लाभ मिलना बंद हो गया। फिर पलायन शुरू हो गया।

प्रश्न–7 न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने क्या दबाव डाला?

उत्तर–नरेगा तथा अन्य रोजगार में फर्क होता है। रोजगार ने काम के बदले में वेतन होता है किन्तु नरेगा में वेतन के बदले में काम होता है। दोनों बहुत फर्क होता है। न्यायाधीशों और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसलो को आधार बनाकर सरकार पर दबाव डाला कि सरकार इतना कम वेतन नही दे सकती है। सरकार भी इस योजना को असफल करना चाहती थी इसलिये उसने इस प्रस्ताव को मान लिया। उधर विकसित क्षेत्रों के सांसद भी ऐसी ही मांग कर रहे थे। इसलिये योजना का स्वरूप बदल दिया गया।

प्रश्न–8. नरेन्द्र मोदी ने ऐसा क्यों किया ?

उत्तर–नरेन्द्र मोदी ने इस योजना को बदलने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें भी बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों के संगठित विरोध का खतरा था इसलिये उन्होंने इस योजना को मर जाने दिया।

प्रश्न–9. क्या अब यह योजना समाप्त मान ली जाये?

उत्तर–जिस तरह गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवियों को धोखा देने के लिये अनेक योजनाएं चल रही है। उसी तरह नरेगा को भी मान लेना चाहिये।

''गांधी मार्क्स ओर अम्बेडकर'' प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1 अकेन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण में क्या अंतर है?

उत्तर–व्यक्ति के अधिकार यदि उसी व्यक्ति को वापस होते है तो वह अकेन्द्रीयकरण है। किन्तु यदि किसी अन्य की नीचे की इकाई को वापस होते है तो वह विकेन्द्रीयकरण है।

प्रश्न–2 क्या मार्क्स सत्ता के इच्छुक नहीं थे।

उत्तर–उस समय कोई सत्ता संघर्ष नहीं था। मार्क्स एक विचारक मात्र थे। उन्होंने विचार दिया।

प्रश्न–3 स्वयं के अस्तित्वहीन होने का क्या अर्थ है?

उत्तर–मार्क्स ने कल्पना की थी कि राज्य अदृश्य शक्ति के रूप में मजबूत होगा और कालांतर में अस्तित्वहीन होकर समाज को स्वचालित होने की छूट देगा किन्तु मार्क्स के बाद मार्क्सवादी सत्ता लोलुप हो गये और उन्होंने अपना अस्तित्व बनाये रखा।

प्रश्न–4 आपका का इशारा किस ओर है?

उत्तर–इशारा कभी स्पष्ट नहीं किया जाता। आप स्वयं समझते होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।

प्रश्न–5 अम्बेडकर की लाइन पर चलने से क्या लाभ है?

उत्तर–अम्बेडकर ने ही अवर्ण बुद्धिजीवियों को श्रम शोषण का अधिकार दिया। आज भी दो प्रतिशत अवर्ण बुद्धिजीवी सारे समाज को ब्लैकमेल कर रहे है।

प्रश्न–6 मेरी जानकारी के अनुसार अम्बेडकर भी श्रम मूल्य वृद्धि की बात करते थे और मार्क्स ने तो श्रमजीवी के पक्ष में ही लडाई लडी फिर आप विरोध क्यो करते है?

उत्तर–मार्क्स क्या सोचते थे यह मुझे नहीं पता किन्तु मार्क्सवादियों ने हमेशा बुद्धिजीवियों का पक्ष लिया और श्रम शोषण का मार्ग प्रशस्त किया। अम्बेडकर भी हमेशा बुद्धिजीवियों के ही पक्ष में रहे।

प्रश्न–7 बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिये क्या क्या तरीके खोजे।

उत्तर–1. कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण 2. शिक्षित बेरोजगारी दूर करना 3. श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी घोषणा 4. जातीय आरक्षण।

प्रश्न–8 भारत में श्रम मूल्य वृद्धि के विरूद्ध क्या प्रयत्न होता है?

उत्तर–भारत में कृत्रिम उर्जा को सस्ता रखा जाता है और गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पाद पर टैक्स लिया जाता है।

प्रश्न–9 मार्क्स धर्म चलाना चाहते थे यह बात गलत है।

उत्तर–धर्म चलाया नहीं जाता। पहले संगठन बनता है बाद में धीरे–धीरे सम्प्रदाय बन जाता है और उसके बाद धर्म। मार्क्सवाद संगठन तक ही सीमित रह गया और उसका पतन शुरू हो गया इसलिये वह आगे नहीं बढ पाया।

प्रश्न–10 अम्बेडकर जी ऐसा क्यो किया।

उत्तर–अम्बेडकर जी पूरी तरह सत्ता संघर्ष में शामिल थे। वे इस कदर सत्ता लोलुप थे कि वे गांधी की भी नहीं मानते थे। इसलिये उन्होंने हिन्दू कोड बिल के पीछे अपनी ताकत लगाई कि अल्पसंख्यक अवर्ण और महिलाओं को मिलाकर बहुमत बना सके।

प्रश्न–11 क्या अम्बेडकर जातिवाद के विरोधी नहीं थे।

उत्तर–गांधी जातिवाद को नहीं मानते थे और अम्बेडकर दिन रात जातिवाद को बढाते थे। अम्बेडकर और उनके संविधान के कारण ही आज भारतीय समाज व्यवस्था में जाति एक नासूर के रूप में स्थापित हो गई है।

प्रश्न–12 वर्तमान समय में आप नक्सलवाद का क्या भविष्य देखते है।

उत्तर–यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई तो नक्सलवाद दो वर्ष में समाप्त हो जायेगा। अन्यथा पांच वर्ष चल सकता है। समाप्त तो होना ही है।

प्रश्न–13 साम्यवादी ऐसा क्यो करते है।

उत्तर–यदि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पाद और उपभोग की वस्तुएं कर मुक्त होकर कृत्रिम उर्जा मंहगी हो जायेगी तो श्रम मूल्य बढ जायेगा, गरीबी खत्म हो जायेगी, डीजल पेट्रोल का आयात बंद हो जायेगा। आप सोचिये कि साम्यवाद किस तरह जिंदा रहेगा। यदि बीमारी खत्म हो जायेगी तो डॉक्टर भूखो मर जायेगा।

प्रश्न–14 क्या अम्बेडकर के वारिस सत्ता संघर्ष में लगे है।

उत्तर–क्या आप पूरे देश में नहीं देखते कि सभी राजनैतिक दल अम्बेडकर को भगवान सरीखे पूजते है क्योंकि उनकी संसद में एक चौथाई ताकत है।

प्रश्न–15 संविधान क्या करेगा। यदि लोग उसका पालन ही नहीं करेगे।

उत्तर–संविधान और सरकार सिर्फ एक कार्य के लिये बनती है जो लोग कानून का पालन न करे उन्हें पालन करने के लिये मजबूर कर दिया जाये। जो लोग स्वतः कानून का पालन करते है उनके लिये न संविधान की आवश्यकता है, न सरकार की। संविधान सलाह नही देता। इसलिये भारत की अव्यवस्था के लिये एक मात्र संविधान दोषी है समाज नहीं।

प्रश्न–16 क्या अम्बेडकर जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया।

उत्तर–अम्बेडकर जी ने कई अच्छे काम भी किये है। उन्होंने संस्कृत को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कश्मीर की धारा 370 का विरोध किया। उन्होने आरक्षण की दस वर्ष की सीमा बनाई। इन सब कार्यो के बाद भी उन्होंने हिन्दू कोड बिल बनाकर तथा ऐसा रददी संविधान बनाकर ऐसा कार्य कर दिया जो सब पर भारी पडा। इसलिये मैंने उन्हें संभावित खलनायक माना है।

प्रश्नोत्तर

अमर सिंह आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रश्न–1 ज्ञान तत्व अंक 381 में आपने भारत का मौलिक चिंतन शून्यवत होकर पश्चिम के अंधानुकरण का निष्कर्ष दिया। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य करते हुये। विदेशों में घुमते समय इसका अनुभव भी किया है किन्तु साथ ही यह बात भी देखी है कि पश्चिमी जगत का अनुशासन भारत के लिये अनुकरणीय है।

प्रश्न–2 ज्ञान तत्व अंक 382 में गांधी, गांधीवादी और सर्वोदय की आपने अच्छी समीक्षा की है। गांधी विपरीत विचारों के लोगो के साथ भी मिलकर विचार मंथन के पक्षधर थे। यहां तक कि कई बिन्दुओं पर गांधी के, स्वामी श्रंद्धानंद से मतभेद होते हुये भी दोनों आमतौर पर मिलकर कार्य करते थे, किन्तु वर्तमान सर्वोदय और गांधीवादी गांधी से ठीक विपरीत दिशा में चलने लगे। इन पर वामपंथियों का इतना अधिक प्रभाव रहा कि एक प्रकार से यह पूरी तरह वामपंथियों पर निर्भर हो गये। गांधीवादी तर्क से भागने, घृणा करने तथा वैचारिक गांधीवादियों से भी भयभीत रहने लगे। वामपंथी वर्ग विद्वेष को प्रमुख हथियार मानते है। अधिकांश गांधीवादी भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, आदिवासी, हरिजन आदि शब्दों का उपयोग करके वर्ग समन्वय को कमजोर करते रहे। गांधीवादी तथा सर्वोदयी लोग समाज सुधार की बहुत चिंता करते रहे किन्तु राजनैतिक सत्ता भ्रष्ट और मजबूत होती गई। इसकी चिंता गांधीवादियों ने नहीं की।

प्रश्न–3 ज्ञान तत्व के अंक 383 में चरित्र निर्माण की अपेक्षा व्यवस्था परिवर्तन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूॅ। चरित्र निर्माण भाषण और प्रवचन से नहीं होता। चरित्र निर्माण तो मा¡ से शुरू होता है। यदि मा¡ या गुरू का महत्व ही नहीं रहेगा तो चरित्र निर्माण संभव नहीं है इसलिये चरित्र निर्माण को दोष देकर व्यवस्था परिवर्तन की मांग करना ठीक नहीं है।

उत्तर–प्रश्न पहला और दूसरे में कोई प्रश्न नहीं है। ना सब कुछ भारत का ठीक है और ना सब कुछ पश्चिम का ठीक है देशकाल परिस्थिति अनुसार निर्णय करना चाहिये। पुराने जमाने में भारतीय समाज व्यवस्था मजबूत थी इसलिये सामाजिक अनुशासन था। वर्तमान समय में राज्य व्यवस्था ने समाज को गुलाम बना लिया जबकि पश्चिम में आंशिक रूप से राज्य का हस्तक्षेप कम है। इसलिये वहां भारत की तुलना में अनुशासन अधिक है। प्रश्न तीन में आपने चरित्र निर्माण को व्यवस्था परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। मैं आपसे सहमत हूॅ किन्तु माता या गुरू स्वतंत्रतापूर्वक चरित्र निर्माण कर सके। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था इसमें सबसे बडी बाधक है। परिवार व्यवस्था कैसी हो, पति–पत्नी के सम्बन्ध कैसे हो, बाप–बेटे के बीच सम्पत्ति का विभाजन कैसे हो यह सारे मामले अब सरकार तय करने लगी है। स्कूलों का सिलेबस सरकार बनाती है और क्या शिक्षा दी जाये, कैसी शिक्षा दी जाये यह सब सरकार तय करती है। किसी बच्चे पर परिवार का कितना अधिकार है और सरकार का कितना यही आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। राजनैतिक व्यवस्था परिवार की पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके कानूनी व्यवस्था का रूप ले रही है। स्वाभाविक है कि बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड रहा है। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिये इसलिये मैंने लिखा है कि चरित्र निर्माण से व्यवस्था परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है।

सामयिकी

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने किसी ईमानदार ऑफिसर को कानूनी कार्यवाही से बचाने के लिये उसके साथ सडक पर बैठककर धरना दिया क्योंकि कानून के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोप में उससे पूछताछ आवश्यक थी। ऐसा ही धरना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दे चुके है। सर्वोच्च न्यायालय तक को सक्रिय होना पडा। तब दोनों ही पक्षों की नजर में भारत के लोकतंत्र पर आया खतरा टल गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जो अराजक दृश्य देखने को मिला वह भी लोकतंत्र की रक्षा का ही प्रयास था। राजनेताओं की नजर में प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या के प्रयास होते रहते है और नेता पूरी मेहनत से लोकतंत्र को बचाते रहते है। ना कभी लोकतंत्र जिंदा रह रहा है, ना कभी मर रहा है। अन्ना हजारे ने पहले भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये अनशन किया था। अब भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तब भी अन्ना हजारे किसी न किसी बहाने अनशन करके सुर्खियों में रहना चाहते है। लगता है कि अन्ना जी को भी अन्य नेताओं की छूत की बीमारी लग गई है और वे अनशन को अन्य नेताओं की तरह ही हथियार के रूप में उपयोग कर रहे है। स्पष्ट है कि उददेश्य ना लोकतंत्र बचाना है ना भ्रष्टाचार दूर करना है, उददेश्य अलग है और मार्ग अलग। मैं बहुत पहले से मानता हूॅ कि राहुल गांधी एक बहुत ही भले आदमी है भले ही उन्हें राजनीति का ज्ञान न हो किन्तु अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका ले रही है जो सभी कसौटियों पर राहुल गांधी से बिल्कुल विपरीत है।

यदि हम पिछले पांच वर्षो का नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की समीक्षा करे तो एक ही बात स्पष्ट दिखती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नियंत्रण के ईमानदार प्रयास किये है। भ्रष्टाचार एक अनियंत्रित बीमारी दिख रही थी जिस पर अब नियंत्रण की संभावना बनने लगी है। भारत की राजनीति पूरी तरह व्यवसाय बन चुकी है। एक भी ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं दिखता जिसे गारंटी से ईमानदारी का प्रमाणपत्र दिया जा सके क्योंकि व्यापार और ईमानदारी के बीच बहुत दूरी बन जाती है। नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार की इस रेखा को मिटाने की कोशिश की तो लगभग सभी राजनेता नरेन्द्र मोदी से मुक्ति के लिये सक्रिय हो गये। विपक्ष के भ्रष्ट नेता तो एकजुट हुये ही किन्तु भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग सब लोग नरेन्द्र मोदी को एक बोझ के समान देखने लगे। यहां तक कि संघ परिवार भी नरेन्द्र मोदी का विकल्प खोजने लगा क्योंकि सबको अनुभव हुआ कि राजनीति एक व्यापार है और नरेन्द्र मोदी के कारण व्यापार को नुकसान हो सकता है। इस प्रयत्न में नरेन्द्र मोदी को भ्रष्ट सिद्ध करने की भी कोशिश की गई जो पूरी तरह असफल हुयी। अब पक्ष–विपक्ष के सभी भ्रष्ट मिलकर लोकतंत्र बचाने का प्रयास करेगे अर्थात किसी भी रूप में नरेन्द्र मोदी से मुक्ति मिले। मुझे ऐसा दिखता है कि अगले चुनाव में सब मिलकर नरेन्द्र मोदी से मुक्त भी हो सकते है। नरेन्द्र मोदी चुनाव हार भी सकते है, किन्तु उसके बाद क्या होगा कि यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस इन्दिरा की तानाशाही से मुक्ति के लिये इतना प्रयत्न हुआ था उसी इन्दिरा गांधी को ढाई वर्ष बाद ही भारत की जनता ने ऐसा बहुमत दिया कि वह उनके परिवार तक बढता चला गया। लोकतंत्र की

रक्षा नेता नहीं कर सकेगे क्योंकि वे सब भ्रष्ट भी है और लोकतंत्र के लिये खतरा भी। यह कार्य तो जनता ही कर सकती है और उसी पर पूरा भरोसा करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि एक अकेला मोदी सबके सामूहिक आक्रमण को झेल सकेगा इसमें संदेह है। क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है और नरेन्द्र मोदी अकेला व्यक्ति।

उत्तरार्ध

दो दिवसीय ज्ञान यज्ञ परिवार का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

दो दिवसीय ज्ञान यज्ञ परिवार का विशेष वार्षिक सम्मेलन नोएडा में 2 – 3 फरवरी को आयोजित किया गया। देश भर के ज्ञान यज्ञ परिवार से जुड़े हुए साथी जहां विचार मंथन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित थे वही उन्हें इस बात की भी उम्मीद थी कि इस बार भी किसी नये विषय पर जानने को भी मिलेगा । ज्ञान यज्ञ विधिवत यज्ञ के द्वारा ही शुरू हुआ जिसमें सभी साथियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और इसके पश्चात धरती माता के प्रतीक ग्लोब के माल्यार्पण से कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्ञान यज्ञ के संरक्षक मंडल के उन सभी दिवंगत साथियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा रखा गया जो अब हमारे बीच मे नही हैं । कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जब बजरंग मुनि जी ने यकायक अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त होने की घोषणा की तो उपस्थित साथियों को एक बार तो ऐसा लगा कि शायद वह सुनने में भूल कर रहे हैं जब बजरंग मुनि जी ने सभी साथियों को बताया कि आज से 10 वर्ष पूर्व दिसंबर 2008 में उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए समाज के लिए कार्य करने का निर्णय लिया था उसी तरह से अपनी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आज मैं स्वयं को सक्रिय सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मुक्त समाज मे रहने के आधार पर जिम्मेदारियों का विभाजन अब तक सक्रिय रूप से सहयोगी रहे साथियों के बीच में कर रहा हूं। अब से इन समाजिक कार्यों की सफलता का पुरा श्रेय अथवा असफलता की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं साथियों की ही रहेगी । जब कभी भी इनको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी मैं सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा लेकिन अब से मैं अपना पूरा समय ज्ञान यज्ञ, विचार मंथन मे लगाउँगा । जिस तरह से परिवार का मुखिया होता है वह एक निश्चित समय पर परिवार में जो कुछ होता है वह परिवार के सदस्यों के बीच में बराबर बांट देता है उसी तरह से आज मैं अपनी इन जिम्मेदारियों को अपने साथियों के बीच में बराबर बांट दे रहा हूं ताकि बाद में कोई मन में क्लेश ना हो। यही आज की बैठक का विशेष उद्देश्य भी है। पहले ही कहा था यह आयोजन सामान्य चर्चा के लिए नहीं है। 1955 से ही मैंने एक सामाजिक परिवार बनाने का प्रयास शुरू किया था उसमें में कितना सफल हुआ अथवा असफल हुआ वह अलग चर्चा का विषय हो सकता है।

ज्ञानयज्ञ परिवार की आवश्यकता क्यों है यह विचार किया जाना चाहिए। मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही ना कभी धार्मिक रहा ना कभी राष्ट्रवादी यद्यपि राष्ट्र और धर्म रहे हैं मगर मेरी दृष्टि मे समाज सबसे उपर रहा है। स्वामी दयानंद जी की दो बातों ने मुझे सदैव प्रभावित किया पहली हमें सत्य बोलने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और दूसरी व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए सामूहिक मामलों में उसे परतंत्र होना चाहिए । मैंने बचपन से ही अनुभव किया कि व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलो में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नही हैं चाहे वो परिवार हो,गावँ हो या देश हो वह गुलाम हैं। जहाँ तक बात सामूहिक निर्णयो की हैं वहाँ भी उसकी कोई भुमिका नही हैं।दो चार व्यक्ति मिलकर निर्णय ले रहे हैं कोई राष्ट्रपति बन कर निर्णय दे रहा है प्रधानमंत्री बन कर के तो कोई सेनाध्यक्ष बन करके सारे निर्णय ले रहा है। यहॉ तक कि व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में भी इन उपर वालों को निर्णय लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है किन्तु व्यक्ति या परिवार को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। यह तो एक प्रकार से गुलामी ही है। इस गुलामी से मुक्ति के लिए मैं लगा रहा हूं । मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि शरीर स्वस्थ रखना, परिवार आदर्श रखना और समाज सशक्त बनाना । मेरा स्वास्थ ठीक हैं मेरा परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार हैं लेकिन आज समाज कितना नीचे गया हैं इसका आकलन कैसे किया जाए। पूरी दुनिया में भौतिक उन्नति बहुत तेजी से हुई है उतनी ही तेजी से नैतिक चारित्रिक पतन हुआ। शिक्षा बढ़ रही है ज्ञान घट रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भौतिक उन्नति भी हो नैतिक पतन भी ना हो शिक्षा का विस्तार भी हो ज्ञान का भी विस्तार हो? दुनिया का हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है संवाद घट रहा है। संसद दंगल का अखाड़ा बन गयी है, साधु सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहन कर संसद में जाने को लालायित हो रहे है, गांधी को मिलता हुआ प्रधानमंत्री पद ठुकराने में जरा सा भी संकोच नही हुआ और नकली गांधी जिनका ना गांधी के से कोई संबंध है ना परिवार से हैं वे प्रधानमंत्री बनने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। सारी दुनिया में भावना और बुद्धि के बीच दुरी बढ रही हैं भावना प्रधान व्यक्ति शरीफ होता है ठगा जाएगा परंतु ठग नहीं सकता है बुद्धि प्रधान व्यक्ति ठग लेगा परंतु ठगा नहीं जाएगा। भावना प्रधान व्यक्ति को त्याग करने में प्रसन्नता होती है बुद्धि प्रधान व्यक्ति को इकट्ठा करने में प्रसन्नता होती है दोनों ही प्रसन्न होते हैं। त्याग करने वाला भी खुश इकट्ठा करने वाला भी खुश। भावना प्रधान लोग धर्म की दिशा में छलांग लगा रहे हैं तो बुद्धि प्रधान लोग राजनीति की तरफ जा रहे है। सारी दुनियां की इस स्थिति को देखकर मैं क्या ऑकलन करूं कि हम सफल हुये या असफल हुये। क्या समाज सही दिशा में जा रहा है? इस दुनिया के दो व्यक्ति एक अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरा चीन का राष्ट्रपति किसी बात पर आपस में लड़ जाए दुनिया एक होकर के भी उनको नहीं रोक सकती है सारी दुनिया अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है। आप मरने के लिए मजबूर होंगे मात्र इन दो व्यक्तियों की वजह से। दुनिया के 6 अरब लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे ना इन दोनों को रोक पायेगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 से 250 असत्य ऐसे हैं जो प्रचार माध्यम के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिए गए हैं। मजबूत प्रचार तंत्र का प्रभाव है जिसके चलते पूरी दुनिया के महापुरुष इन झूठों को ही सत्य मानते हैं ।

मैं क्यों ना स्वीकार करू कि मैं असफल रहा। मैंने प्रयास किया बात आगे नहीं बढ़ी। मेरे जन्म लेने के बाद दुनिया बहुत नीचे गई है। यदि 1947 या 55 के बाद से भारत का आंकलन करे तो हम पाते हैं कि समाज में वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष 8 आधारों पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है वर्ग समन्वय एकदम खत्म हो गया है। हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है फर्स्ट अटैक इज वेल डिफेंस सिद्धांत पर काम हो रहा है। हिंसा पर विश्वास क्यों बढ़ रहा है यह अलग चर्चा का विषय हो सकता है। मेरा मानना है कि भारत में शिक्षा को योग्यता का आधार बनना चाहिए था लेकिन शिक्षा रोजगार का मापदंड बन गयी है, योग्यता का मापदंड नहीं । दुनिया मे जितनी भी समस्याएं है वे तो भारत में है ही, उनके साथ साथ भारत में कुछ और नयी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। कुकुरमुतो की तरह भारत में हर रोज नये नये संगठनो का उदय हो रहा हैं, संस्थाएँ घट रही है । लोगो को संगठन और संस्थाओं के बीच का अंतर नहीं मालूम। वे तो दोनों को एक ही बता देते हैं। भारत विचारों को निर्यात करने वाला देश रहा है, भारत कभी भी धर्म प्रधान नहीं रहा। हिन्दू या जिसे हम हिन्दुत्व कहते हैं वह समाज प्रधान व्यवस्था रही है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में हिंदुत्व इस्लाम की तरह संगठन की तरफ बढ़ रहा है। कहीं न कहीं गिरावट तो आ रही है। भारत जो विचारों का निर्यात किया करता था पिछले लगभग 1000 वर्षों से विचारों का आयात करने लगा है। आज हम सारे विचार आयात कर रहे हैं। निर्यात का तो प्रश्न ही नहीं है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि आज हम एक से बढ़कर एक पूंजीपति पैदा कर रहे है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं विश्व में सफलता के झंडे का गाड़ रहे है मगर विचारक नहीं दे पा रहे हैं विचार मंथन हो ही नहीं रहा है। किसी भी नामी शख्सियत से किसी भी विषय पर उनकी राय पूंछो तो वो मार्क्स ने क्या कहा ,चाणक्य ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा उनकी अपनी खुद की कोई राय नहीं होगी ।जब भी कुछ कहेंगे तो किसी न किसी मृत महापुरुष को कोड करेंगे ।किसी भी मृत महापुरुषों के विचार अंतिम सत्य नहीं हो सकते हैं और हमे बिना विचार किये उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग मृत महापुरुषों की बात को आंख मूंदकर अनुकरण करते हैं।ऐसे मे हम विचारों का निर्यात कहां से करेंगे विचार मंथन तो हो ही नहीं रहा। यही कारण है कि भारत में इन समस्याओं का लगातार विस्तार हो रहा है । स्वतंत्र विचार मंथन के लिए वातावरण बनाना होता है परिवार का , समाज का वातावरण होना चाहिए तब कहीं जाकर विचारक निकल पाते हैं। जैसे ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति संगठनो की निगाह मे आता हैं वे उसका ब्रैनवॉश कर उसकी उर्जा को अपने विचारो के विस्तार मे लगा देते हैं।ये संगठन कभी भी विचारक नही बनने दे सकते चाहे वह साम्यवादी हो ,संघी हो ,अथवा किसी भी अन्य विचारधारा से जुडा हुआ कोई भी संगठन क्यो न हो। भारत की इस दुर्दशा का मुख्य कारण भारत की परिवार और समाज व्यवस्था को तोड़ने का काम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा हैं और उसका सारा दोष समाज पर डाला जा रहा है। तोडने वाला सुरक्षित है। इन समस्याओ के समाधान के लिए ज्ञानयज्ञ परिवार कीआवश्यकता हैं ताकि समाज मे सफलतापूर्वक विचार मंथन की प्रक्रिया चलती रहे जिससे परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था मजबूत हो सके। ज्ञान यज्ञ परिवार चार दिशाओं में इस कार्य का विभाजन कर रहा है। पहला ज्ञान यज्ञ, दूसरा बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान, तीसरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा वर्तमान व्यवस्था सुधार। इसमें ज्ञान यज्ञ का संचालन अभ्युदय द्विवेदी, बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान का संचालन आचार्य पंकज कर रहे हैं ।इन दोनों का मुख्यालय ऋषिकेश हैं। शेष अन्य दोनो कार्यो का संचालन दिल्ली कार्यालय से हो रहा है जिसमे लोक स्वराज का संचालन प्रसिद्ध गांधीवादी ओम प्रकाश दुबे, जन संसद का संचालन रामवीर श्रेष्ठ, समान नागरिक सहिंता/हिन्दू कोड बिल उन्मूलन समिति/अभियान का संचालन पत्रकार सँजय तिवारी तथा लोकतंत्र सेनानियो की वर्तमान लोकतंत्र मे भुमिका का संचालन संघ के पूर्व प्रचारक रमेश राघव कर रहे हैं। यहां एक बात और गंभीरता पूर्वक स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम सुशासन के कतई पक्षधर नहीं है हम स्वशासन के पक्षधर हैं। स्वशासन होगा तो सुशासन खुद ब खुद हो जाएगा ।

ज्ञान यज्ञ परिवार के वार्षिक सम्मेलन में देश भर से आए हुए करीब एक सौ साथियों में से लगभग 30 साथियों ने ज्ञानयज्ञ से जुड़ने की अपनी सहमति दी । इनमें से सम्भल जिले के लायकराम कुशवाह ने अपने यहाँ वर्ष के हर माह में ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाने की सहमति दी। उन्ही के जनपद के दो अन्य साथियो ऋषिपाल सिंह यादव एवं वेद प्रकाश कुशवाह मे अपने यहाँ क्रमशः 3 बार और 1 बार ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाने का निर्णय लिया। बलिया उत्तर प्रदेश के डॉ जे.पी सिंह ने 2 बार, बुलंदशहर के नरेंद्र सिंह जी ने 1 बार, सतना के रामानुज कुशवाह ने 3 बार, सुरेश भाई, महोबा ने 1 बार, रीवा के अनिल सिंह ने 1 बार और श्याम सुंदर तिवारी मे 1 बार, हीरा सिंह भण्डारी दिल्ली, धर्मवीर सिंह मुजफ्फरनगर, शक्ति सिंह, आंनद प्रकाश गोंडा (उ.प्र), विमलेश तंवर दिल्ली, विजय लक्ष्मी पांडे वर्धमान (पश्चिम बंगाल), राम कुमार केसरी रायपुर (छ.ग), वैद्यराज आहुजा कांकेर (छ.ग), रणधीर सिंह सिरोही बुलंदशहर (उ.प्र), के. वीरा स्वामी हैदराबाद ने वर्ष में एक बार अपने यहाँ ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम करवाने की सहमति दी है। अन्य लोगों ने कम से कम वर्ष में एक बार कई भी ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का संकल्प घोषित किया।

प्रथम सत्र और दूसरे सत्र में ज्ञान यज्ञ परिवार और ज्ञान यज्ञ की विस्तृत चर्चा करते हुये मुनि जी ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति में समझदारी का विकास नहीं होगा तब तक समस्याएं सुलझ नहीं सकेगी। उन्होंने नारा दिया सभी समस्याओं का समाधान, बढे समझदारी और ज्ञान। इसका अर्थ है कि पूरी दुनियां में ज्ञान यज्ञ का विस्तार होना चाहिये। बहुत लोगों ने विस्तार के लिये दायित्व स्वीकार भी किये और आगे भी कार्य बढता रहेगा। इसके साथ ही शोध कार्य भी चलते रहना चाहिये। यह कार्य बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के माध्यम से आचार्य पंकज जी संचालित कर रहे है। इस कार्य से भी सब लोगों को जुडना चाहिये। तीसरे सत्र में राइट टू कन्स्टीट्यूशन की योजना पर चर्चा हुई। रामवीर श्रेष्ठ जी ने जन संसद का विचार विस्तार से प्रस्तुत किया तो ओमप्रकाश दूबे जी ने लोक स्वराज्य की रूपरेखा रखी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी संघ के प्रमुख रमेश राघव जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिये लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सक्रिय होने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को इस सम्बन्ध में इलाहाबाद में एक बडा

कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें बजरंग मुनि जी भी भाग लेगें। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम अलग–अलग संगठनों के माध्यम से होते रहेगे। चौथे सत्र में वर्तमान व्यवस्था में सुधार पर चर्चा हुई। प्रसिद्ध पत्रकार संजय तिवारी जी ने समान नागरिक संहिता तथा हिन्दू कोड बिल उन्मूलन अभियान को देशभर में आगे बढाने की अपनी योजना रखी। इस बीच रोशनलाल जी ने कुछ भिन्न विषय रखना चाहा तो मुनि जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि निश्चित विषय के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं हो सकेगी। वे नाराज होकर चले गये। बाद में मुनि जी ने स्पष्ट किया कि हम किसी रूप में राजनैतिक असमानता को आर्थिक और सामाजिक असमानता से अधिक घातक मानते हैं। यदि कोई संगठन राजनैतिक असमानता की चिंता छोडकर आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करने का प्रयास करता है तो हम उस संगठन को अपने मंच का उपयोग नहीं करने देगें। वैसे भी अमीरी गरीबी शब्द वर्ग विद्वेष फैलाने वाले है। इन शब्दों के स्थान पर मध्य रेखा का उपयोग हो सकता है। इस लिये हम लोगो का मंच अमीरी गरीबी के नाम पर किसी आंदोलन का पक्षधर नहीं है न भविष्य में रहेगा।

अंतिम सत्र में मुनि जी में समापन भाषण दिया और बताया कि सब लोगों ने अपनी–अपनी सक्रियता का जिस तरह दायित्व स्वीकार किया है उससे एक आशा की किरण मजबूत होती है। ज्ञान यज्ञ परिवार ऐसी संस्थाओं और संगठनों को सब प्रकार से मदद करता रहेगा किन्तु अब सबको पूरी स्वतंत्रता तथा सक्रियता से अपने अपने कार्य को गति देनी हैं। यदि कोई और संगठन किसी अन्य विषय पर आगे आकर कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाता हैं तो ज्ञान यज्ञ परिवार के कार्यकर्ता उनकी भी मदद करेगे। लोकस्वराज्य की प्रार्थना के बाद दो दिनों का यह सम्मेलन संम्पन्न हो गया।

उत्तरार्ध

दो दिनो के नोएडा सम्मेलन में उपस्थित सभी साथियों ने यह व्यक्त किया कि बजरंग मुनि जी का हमारे क्षेत्र में एक प्रवचन रखा जाना चाहिये। मुनि जी ने उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से अपनी समस्याएं बताई, किन्तु साथियों की अत्याधिक इच्छा को देखते हुये जून के दूसरे सप्ताह से एक माह तक मुनि जी ने गाडी से यात्रा की सहमति प्रदान कर दी। इस एक माह में उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखण्ड तक यात्रा सीमित रहेगी। प्रति दिन दो स्थानों पर प्रवचन के कार्यक्रम रखे जायेगे। प्रवचन का मुख्य विषय ''वर्तमान सामाजिक समस्याएं और उनके समाधान'' तक केन्द्रित होगा। सामाजिक समस्याओं में विश्व स्तरीय तथा राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो सकती है। एक कार्यक्रम करीब तीन घंटे का होगा कार्यक्रम किसी धर्मिक रीति से भी प्रारंभ हो सकता है। तीन घंटे के कार्यक्रम में एक घंटे का मुनि जी का प्रवचन एक घंटे का प्रश्नोत्तर तथा शंका समाधान एवं एक घंटे हम क्या कर सकते है, इस विषय पर चर्चा और योजना बनेगी। इस एक महीने की यात्रा में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान तथा बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के निदेशक आचार्य पंकज जी भी साथ रहेंगे तथा अपने विचार रखेंगे। पूरी यात्रा का संचालन और व्यवस्था ज्ञान यज्ञ प्रमुख अभ्युदय द्विवेदी जी करेंगे। द्विवेदी जी का मोबाइल नंबर ''9302811720'' है।

टीकाराम देवरानी
(कार्यालय सचिव)
मोबाइल/व्हाट्सअप नंबर– 8826290511, 9821012002
ईमेल– vyavasthapak@rediffmail.com
bajrang.muni@gmail.com